न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रकरण सं0 11/22(1/2020)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजस्व, रायसिंहनगर।

प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप
2. भूपराम पिसरान ठाकर राम जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956 में प्रस्तुत प्रारम्भिक आपतियों का प्रार्थना पत्र दिनांक 9–9–21

उपस्थितः 1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य
2. श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

दिनांक : 4–10–2022.

आदेश

उपरोक्त प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के कार्यालय आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14–1–2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील क्षेत्र के राजस्व प्रकरणों की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को दिये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर के न्यायालय से जरिये पत्रांक 196 दिनांक 9–2–22 के द्वारा पत्रावली इस कार्यालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है।

प्रार्थी रामनारायण द्वारा जरिये अधिवक्ता अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), श्री गंगानगर के न्यायालय में दिनांक 16–7–2020 को अप्रार्थीगण के विरूद्व भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र कोई भी व्यक्ति सीधा प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स तैयार करने हेतु तहसीलदार, रायसिंहनगर को प्रेषित किया गया, जहॉ से उनके पत्रांक 2216 दिनांक 9–9–2020 को रेफरेन्स न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

रेफरेन्स के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मुताबिक रेकार्ड जमाबंदी चक 13 एम डी के मु0 नं0 20(194/348) के कि0 नं0 1 ता 10/2.530 है0 कमाण्ड, 11/1 में 0.101 है0, 12/1 में 0.101 है0, 13/1 में 0.101 है, 15/1 में 0.101 है0 कुल 3.036 है0 कमाण्ड भूमि भूपराम पुत्र ठाकर राम के नाम दर्ज है। इसी मुरब्बा के कि0 नं0 11/2 में 0.152 है0, 12/2 में 0.152 है0, 13/2 में 0.152

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with OKEN Scanner

है0, 14/2 में 0.152 है0, 15/2 में 0.151 है0, 16 ता 20 में 1.265 है0, 21/2 में 0.202 है0, 22/2 में 0.203 है0, 23/2 में 0.202 है0, 24/2 में 0.202 है0, 25/2 में 0.203 है0 कुल 3.036 है0 कमाण्ड भूमि रामस्वरूप पुत्र ठाकर राम के नाम खातेदार दर्ज है। चक 13 एस ए डी के मु0 नं0 194/348 का 25 बीघा रकबा सम्वत् 2019 से 2022 व सम्वत् 2023 से 2026 मुताबिक गिरदावरी रकबा जोहड़ का दर्ज होना दिखाया गया है। चक 13 एस ए डी के मु0 नं0 194/348 के आवंटन बाबत दिनांक 17–7–84 को इस रकबा को रामस्वरूप, भूपराम हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। रकबा आवंटन हेतु दिनांक 17–8–84 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया जिसमें दिनांक 29–8–84 को पत्रावली का अवलोकन कर राजस्व (उपनिवेशन) जयपुर के आदेश प.3/(79)/राजस्थान/उप./83 दिनांक 12–6–84 द्वारा उपनिवेशन तहसील रायसिंहनगर मुकाम सूरतगढ के चक 13 ए एस डी के मु0 नं0 194/348 का 24 बीघा भूमि कीमतन 16800/– रू0 में विशेष आवंटन में आवंटित की गई है। अप्रार्थी द्वारा तात्कालिक समय में जरिये विशेष आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों व परिपत्र के पालनार्थ भूमि को कीमतन विशेष आवंटन के जरिये प्राप्त की गई है।

उक्त रेफरेन्स प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक एतराज में निम्न बिन्दू उठाए है:–

1. रेफरेन्स गिरदावरी के आधार पर पेश किया है जबकि गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ राईट जमाबन्दी है। जमाबंदी में रकबा जोहड़ नहीं है।

2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12–6–1984 को वादग्रस्त रकबा आरक्षित कर, विशेष आवंटन में विज्ञप्ति निकाली गई। आरक्षित होने के बाद विशेष आवंटन गजट में छाया हुआ। छाया होने के बाद उक्त रकबे के बारे में राज्य सरकार द्वारा 1984 में सार्वजनिक नोटिस निकाला गया और नोटिस की कम्पलाईस में 5 प्रतिशत राशि जमा करवा कर प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किए गए। उसमें से दूसरे काश्तकार इस चक के नहीं होने के कारण पात्र नहीं थे। जॉच उपरांत अप्रार्थी सं0 1 व 2 को आवंटन किया गया। राज्य सरकार द्वारा वादग्रस्त रकबे की किस्म बदल कर विशेष आवंटन में आरक्षित कर दिया तो उसके बाद जोहड़ पायतन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त रकबे के संबंध में जब तक रेफरेन्स में राज्य सरकार के आदेश 1984 को चुनोति देकर डिनोटिफाईड नहीं किया जाता तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। है। चक 13 एस ए डी मु0 नं0 194/348 की 25 बीघा रकबा के बारे में रेफरेन्स पोषणीय नहीं होने के कारण प्रारम्भिक एतराज प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स खारिज किया जावे।

प्रारम्भिक एतराज पर दोनों पक्षों को सुना गया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि रकबा जोहड़ पायतन का है। मैरिट पर सुनकर रेफरेन्स का निस्तारण किया जाना चाहिये।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि मैरिट पर निर्णय से पूर्व प्रारम्भिक आपति का निस्तारण किया जाना चाहिये। राजस्व रेकार्ड में रकबा जोहड़ पायतन का नहीं है। स्वंय तहसीलदार ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि गिरदावरी में रकबा जोहड़ का दर्ज होना दिखाया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गिरदावरी रिकार्ड आफ राईट नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ राईट जमाबन्दी है। जमाबंदी में रकबा जोहड़ नहीं है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12–6–84 से रकबा आरक्षित कर सार्वजनिक नोटिस जारी कर, विशेष आवंटन में अप्रार्थी सं0 1 व 2 को रकबा कीमतन आवंटित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा वादग्रस्त रकबे की किस्म बदल कर विशेष आवंटन में आरक्षित कर दिया तो उसके बाद जोहड़ पायतन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त रकबे के संबंध में जब तक रेफरेन्स में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12–6–1984 को चुनोति देकर डिनोटिफाईड नहीं किया जाता तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इस प्रकार निवेदन किया है कि चक 13 एस ए डी मु0 नं0 194/348 की 25 बीघा रकबा के बारे में रेफरेन्स पोषणीय नहीं होने के कारण प्रारम्भिक एतराज को स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स खारिज किया जावे। अपने तर्क के समर्थन में डी एन जे 2022(2) पेज 1230 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि गिरदावरी में रकबा जोहड़ का दर्ज होना दिखाया गया है। रिकार्ड ऑफ राईट जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त रकबा जोहड़ पायतन का है। रिकार्ड ऑफ राईट जमाबन्दी संवत् 2076–79 जो तहसीलदार (रेफरेन्स कर्ता) द्वारा वादग्रस्त रकबा के संबंध में प्रस्तुत की गई है, में जोहड़ पायतन दर्ज नहीं है।

यह तथ्य भी पत्रावली के अवलोकन से निर्विवादित है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12–6–84 से वादग्रस्त रकबा की किस्म बदल कर, आरक्षित कर, सार्वजनिक नोटिस जारी कर, विशेष आवंटन में अप्रार्थी सं0 1 व 2 को कीमतन आवंटित किया गया है ।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डी एन जे 2022(2) पेज 1230 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 88 व 188 – वाद खारिज किया – राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अपास्त किया और प्रकरण प्रतिप्रेषित किया – विवादित भूमि रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज है – राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत वादीगण को नोटिस जारी किये – लिखमा व अम्बा तथा टिकमा एक व्यक्ति हैं, किसी साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया – **खसरा गिरदावरी रेकॉर्ड ऑफ राईट नहीं है** – धारा 91 के अन्तर्गत नोटिसों के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते – निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह विनिश्चय किया गया है कि खसारा गिरदावरी रेकॉर्ड ऑफ राईट नहीं है।

इसी निर्णय में माननीय मण्डल द्वारा मुख्य बिन्दू में अंकित किया गया है कि :– [A] Khasra girdavari is not a record of rights.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

इस प्रकार, उपरोक्त समग्र विवेचन एवं माननीय राजस्व मण्डल के उक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि रिकॉर्ड ऑफ राईट जमाबन्दी में वादग्रस्त रकबा जोहड़ पायतन दर्ज नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–6–84 द्वारा वादग्रस्त रकबे की किस्म बदल कर विशेष आवंटन में आरक्षित कर, विधिक प्रकिया अपनाकर अप्रार्थी सं0 1 व 2 को कीमतन आवंटन किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक एतराज का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत रेफरेन्स खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, रायसिंहनगर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 4–10–22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)